सं0 727 / II–2005–13(05) / 03

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, दिनांक, देहरादून, 24 अक्टूबर / 05

विषय– संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक–1342 / पी0ए0 दिनांक 03.02.2005 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 260 / वि0अनु0 / 2002 / दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त प्रतिबन्धों के अधीन संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना / उपयोग हेतु निम्नानुसार भूमि हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत स्थित राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि ग्राम जमालपुर खुर्द का खसरा सं. 110 म रकबा 2.626 है0, 111 म रकबा 1.505 है0, 112 म रकबा 0.450 है0, 113 रकबा 0.091 है0, 114 म रकबा 0.063 है0, 115 म रकबा 0.082 है0, 105 म रकबा 0.601 है0 एवं 109 म रकबा 2.862 है0 (कुल 8 खसरा नम्बरान रकबा 8.820 है0) तथा ग्राम बाहदराबाद के गाटा संख्या 303 म कुल रकबा 5.259 है0 में से 2.230 है0, इस प्रकार कुल रकबा 10.510 है0 (25 एकड़) भूमि संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु निशुल्क आवंटित कर दी जाए।

(2) प्रश्नगत भूमि पर स्थित बाग आदि अन्य परिसम्पत्तियाँ भी निशुल्क संस्कृत विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगी।

(3) आवटन हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 10 (ग) के तहत दर्ज काश्तकारों, जो कि जिलाधिकारी के अनुसार ग्राम में तसदीक नहीं हुए, का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित मानकर तदनुसार नाम निरस्तीकरण करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष में अभिलेखों में नामान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी, हरिद्वार के स्तर से कर ली जाए।

(4) उक्त भूमि संस्कृत विश्वविद्यालय के उपयोग के अतिरिक्त, किसी भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जायेगी, साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को इस भूमि को अन्य किसी विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) संस्कृत विश्वविद्यालय को जब इस भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, तब सिंचाई विभाग को यथास्थिति में वापिस की जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का मूल्य/शुल्क देय नहीं होगा।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

एन0 रवि शंकर
सचिव।

सं0 727/II--2005-13(05)/03 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, सिंचाई, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मा0 मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
5- कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
7- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तरांचल।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।